न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/148/2022	2022/222	09.05.2022	13.06.2022

—उनवान—

1. प्रभुदयाल शर्मा पुत्र बद्रीप्रसाद
2. श्रवण पुत्र बद्रीप्रसाद
3. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद
4. रामगोपाल पुत्र बद्रीप्रसाद
5. संतोष पुत्र बद्रीप्रसाद जातियान् बागड़ा ब्राह्मण निवासीयान हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी थानागाजी राज0।
2. सूरजमल (कथित दत्तक पुत्र रिछपाल) पुत्र बद्रीप्रसाद जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री नवनीत तिवाड़ी **—वकील प्रार्थीगण**

02. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल **—वकील अप्रार्थी सं0 1**

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान सरकार जरिये थानाधिकारी थानागाजी बनाम प्रभुदयाल वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में थानाधिकारी थानागाजी ने धारा 145 जा0फौ0 का एक परिवाद पेश किया। जो अधीनस्थ न्यायालय में वाद सरकार जरिये थानाधिकारी थानागाजी बनाम महेश चंद शर्मा वगै0 अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी विचाराधीन है। जिसमें पेशी दिनांक 11.05.2022 नियत है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा एक गोदनामा स्वंय को रामरिछपाल का दत्तक पुत्र बताते हुए पंजीकृत करवाया। जिसके आधार पर विवादित खातेदारी की आराजी अप्रार्थी सं0 2 के नाम चढी। चूंकि उक्त गोदनामा प्रारम्भ से ही बेजा प्रभाव में लेकर करवाया था। जिसकी जानकारी होने पर हम प्रार्थीगण के द्वारा एक वाद उक्त गोदनामा को निरस्त करने हेतु जिला न्यायाधीश अलवर के यहां पेश किया। जिसे वर्तमान में मान0 न्याया0 अपर जिला न्यायाधीश सं0 2 अलवर द्वारा दिनांक 21.02.2018 को प्रार्थीगण के पक्ष में निस्तारित किया जाकर अप्रार्थी सं0 2 द्वारा दिनांक 12.04.1990 को जो गोदनामा निष्पादित कराया, को अवैध व शून्य घोषित किया गया। जिस कारण अप्रार्थी सं0 2 प्रार्थीगण से रंजिश रखता है व स्थानीय राजनेताओं से साठगांठ है। आराजी खसर नम्बर 44 रकबा 0.16 है0, 55 रकबा 0.85 है0, 151 रकबा 0.48 है0, 54 रकबा 0.57 है0 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम हरनेर तहसील थानागाजी पर प्रार्थीगण पिछले 35—40 सालों से काबिज होकर काश्त

जिला कलक्टर, अलवर

कर रहे है। हमेशा फसल तैयार होने पर अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा झूठे प्रा0पत्र थानाधिकारी व अन्य पुलिस अधिकारियों को देकर हमें तंग व परेशान किया जाता है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा झूठे मुकदमें व झूठी एफआईआर दी गयी। वर्तमान में धारा 145 जा0फौ0 थानाधिकारी थानागाजी द्वारा बेजा तौर पर उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के समक्ष पेश किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई एव जवाब देही का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है। बहुत छोटी तारीख दी जा रही है तथा उपखण्ड अधिकारी थानागाजी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि उन पर स्थानीय नेताओं का राजनैतिक दबाव है। जिस कारण से धारा 145 जा0फौ0 का परिवाद स्वीकार करना ही होगा और उक्त आराजी कब्जे राज ली जाकर रिसीवर कायम करूंगा। जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा काफी अनुनय विनय करने के उपरांत प्रकरण में आगामी तारीख ली एवं निवेदन किया कि उक्त आराजीयात पर हम शांतिपूर्वक कब्जे काश्त रखे हुए है, मौके पर गेहूं व सरसों की फसल बोई हुई है। उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा रिसीवर बाबत प्रा.पत्र बाद सुनवाई खारिज किया, जिसकी अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा खारिज की जा चुकी है। उक्त आदेशों में सक्षम न्यायालय द्वारा आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का कोई कारण नहीं पाया गया। विस्तृत विवेचन द्वारा निर्णय हो चुका है। वर्तमान परिस्थितियों में प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी थानागाजी से न्याय की उम्मीद नहीं रहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रकरण धारा 145 जा0 फौ0 के तहत प्रकरण संख्या 18/01 अनुवान सरकार जरिये थानाधिकारी थानागाजी बनाम सूरजमल वगे0 अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 20.05.2022 में नियत है। अप्रार्थी सं0 2 का स्थानीय नेताओं से कोई लेना–देना नहीं है ना ही स्थानीय नेताओं से हमारी कोई साठगांठ है। प्रार्थीगण द्वारा पेश मुंतकिल प्रा.पत्र में अंकित तथ्य झूठे मिथ्या एवं मनगढंत है। विचाराधीन प्रकरण में दोनों पक्षकारान् को नजदीक–नजदीक तारीख दी जाकर प्रदत्त नियमों के तहत विधिवत् सुनवाई की जा रही है। फिर भी यदि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी में धारा 145 जा0 फौ0 के तहत प्रकरण संख्या 18/01 अनुवान सरकार जरिये थानाधिकारी थानागाजी बनाम सूरजमल वगे0 विचाराधीन है। उक्त प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 20.05.2022 में नियत है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा गोदनामा पंजीकृत की जानकारी न्यायालय को नहीं है तथा ना ही ऐसी कोई जानकारी है कि प्रार्थी द्वारा गोदनामा को निरस्त कराने बाबत जिला न्यायाधीश अलवर के समक्ष प्रकरण दर्ज करवाया गया। स्थानीय नेताओं का इस प्रकरण से कोई लेना–देना नहीं है ना ही स्थानीय नेताओं द्वारा प्रकरण में हस्तक्षेप कर न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित किया जा रहा है। विचाराधीन प्रकरण में दोनों पक्षकारान् को नजदीक–नजदीक तारीख दी जाकर प्रदत्त नियमों के तहत विधिवत् सुनवाई की जा रही है। यदि परिवादी को न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है तो प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल करवाना चाहता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रार्थीगण वकील व अप्रार्थी सं0 2 वकील की बहस पर मनन किया गया। वकील अप्रार्थी सं0 2 द्वारा भी विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी में विचाराधीन प्रकरण उनवान सरकार जरिये थानाधिकारी थानागाजी बनाम प्रभुदयाल वगै0 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं

जिला कलक्टर, अलवर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी व उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)